रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2015/फाल्गुन 21, 1936
No. 138] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2015/PHALGUNA 21, 1936

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2015

सा.का.नि. 184(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 को, जहाँ तक उनका संबंध कृषि विज्ञानी और फार्म अधीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में कृषि विज्ञानी और फार्म अधीक्षक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि विज्ञानी और फार्म अधीक्षक, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अहर्ताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कृषि विज्ञानी	01*(2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 3, 15600–39100 रुपये ग्रेड + वेतन 6600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड–2, 9300–34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये में ऐसे फार्म अधीक्षक जिन्होंने सात वर्ष की उस ग्रेड में नियमित सेवा की हो और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री या कृषि विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा सहित कृषि में स्नातक डिग्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संबंधी समस्याओं और यांत्रिक खेती क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध–सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड–3, 15,600–39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; या	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ;प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :–** (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष; (2) अपर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य; (3) संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य; (4) निदेशक/उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य	प्रत्येक नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छः वर्ष सेवा की है; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में सात वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हों: **आवश्यक :** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध–सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों से कृषि संबंधी समस्याओं पर प्रायोगिक या अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव. **वांछनीय :** यांत्रिक खेती में दो वर्ष का अनुभव. **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। [प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।]		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. फार्म अधीक्षक	02*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–2, 9300–34800 रुपय + ग्रेड वेतन 4600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड–1, 5200–20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये में ऐसे कृषि सहायक जिन्होंने पंद्रह वर्ष की उस ग्रेड में नियमित सेवा की हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संबंधी समस्याओं और यांत्रिक खेती में चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति; (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:–** (1) संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग —अध्यक्ष; (2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्द्ध–सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हों:– **अनिवार्य**: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा परिषदों या अर्द्ध–सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों से कृषि संबंधी समस्याओं पर प्रायोगिक या अनुसंधान का दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय**: यांत्रिक खेती में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। [प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी,] **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	विभाग –सदस्य; (3) अपर आयुक्त (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग –सदस्य; (4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान –सदस्य	

[फा. सं. 13–3/2012–एम. एवं टी. (प्रशा.)],

बी. बी. भगत, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2015

G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Farm Machinery Training and Testing Institute (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Agronomist and Farm Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Agronomist and Farm Superintendent in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institutes, Agronomist and Farm Superintendent, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Agronomist	01* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable

1176 GI/15-2

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short -term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Farm Superintendent in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/- with seven years regular service in the grade and possessing Master's degree in Agriculture or Bachelor's degree in Agriculture with post graduate degree or diploma in Agronomy from a recognised University or Institute and have successfully completed four weeks of training in the field of agronomical problems and mechanised farming from Indian Council for Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendra. **Note 1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation (including short- term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognised Research Institutions or Councils or Semi-Government or autonomous or statutory organisations:— (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** (1) Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman; (2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation : -Member; (3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation -Member; (4) Director/Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-3, Rs. 15600-39100, with grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs. 9300-34800, with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs. 9300-34800, with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

(i) Master's degree in Agronomy from a recognised University or Institute;

(ii) three year's practical or research experience in agronomical problems from Central or State Government departments or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognized research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

Desirable : Two years' experience in mechanised farming.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

Note 2 : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one

pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Farm Superintendent	2* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short term contract).

(11)	(12)	(13)
Promotion: Agricultural Assistant in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- with fifteen years regular service in the grade and have successfully completed four weeks of training in agronomical problems and mechanised farming from Indian Council for Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendra. *Note 1* : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 2* : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation (including short- term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous or statutory organisations:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— (1) Joint Secretary, (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation —Chairman; (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member; (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member; (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary is while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b)possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Master's degree in Agronomy from a recognized University or Institute; (ii) two years practical or research experience in agronomical problems in Central Government or State Government departments or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organizations. **Desirable:** One year experience in mechanised farming. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of deputation (including short - term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.] **Note 2** : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 13-3/2012-M&T (Admn.)]

B. B. BHAGAT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.